



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272325
CG-DL-E-08052026-272325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2211]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2026/वैशाख 17, 1948

No. 2211]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2026/VAISAKHA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

का.आ. 2302(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से NH-361H के कि.मी. 38.06 से कि.मी. 39.813 तक महाराष्ट्र राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH361H पर भूमि का अधिग्रहण ।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, औसा-रेणापूर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH361H के कि.मी 38.06 से कि.मी 39.813 तक	महाराष्ट्र	लातूर	रेनापुर	1 वालेवाडी 2 पानगाव 3 मुसलेवाडी 4 मनसुमरवाडी 5 पाथरवाडी 6 भंडारवाडी 7 रामवाडी 8 निरपणा

[फा. सं. RW/NH/12014/170/2017-MAH(Zone-IV)]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2026

S.O. 2302(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 38.06 to km. 39.813 of NH-361H in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH361H in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SDO&CompetentAuthority,Ausa-Renapur	NH361H KM 38.06 TO KM 39.813	MAHARASHTRA	Latur	Renapur	1 Walewadi 2 Pangaon

						3	Muslewadi
						4	Manusmarwadi
						5	Patharwadi
						6	Bhandarwadi
						7	Ramwadi
						8	Nirpana

[F. No. RW/NH/12014/170/2017-MAH(Zone-IV)]
SHAIKH AMINKHAN, Director